

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं० – एम० 34/2022-23

वाद की प्रकृति :- धारा – 107, द०प्र०सं०

झारखण्ड सरकार द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर –बनाम– कौशल केसरी वगै०

आ दे श

पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, चैनपुर थाना के चैनपुर थाना अप्राथमिकी सं० – 3/2023, दिनांक – 18.03.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 107 के तहत इस वाद की कार्यवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय 1. कौशल केसरी, पे० प्रदीप केसरी, 2. संदीप रौतिया पिता राजेश शरण रौतिया 3. यशवंत केसरी, पिता यमुना केसरी 4. शिवम केसरी, पिता अवधेश केसरी 5. अनिल केसरी, पिता स्व० सच्चिदानन्द प्रसाद केसरी 6. रितेश कुमार गुप्ता, पिता रविन्द गुप्ता 7. बसंत साहु, पिता मधु सुदन साहु 8. शकील खान पिता अलबुल खान 9. अफरोज खान, पिता खादिम खान ताहिर अंसारी, पे० जाहिर अंसारी, सा० त्रिगरा 10. जावेद खान, पिता कलाम खान सा० आनन्दपुर (हुकड़ा पहाड़) सभी सा०+थाना चैनपुर, जिला गुमला को रामनवमी पर्व 2023 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में, संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रश्नगत वाद में रामनवमी पर्व 2023 की समाप्ति हो चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना नहीं दी गई है। इस वाद कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)